तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9.2.2022	अपील संख्या– 61/2021 अन्तर्गत धारा 76 एलआरएक्ट प्रहलाद उत्तक पुत्र चतुर्भुज कीर निवासी ग्राम ब्राहमणों का लुहारिया तह0 हिण्डोली बनाम नानगी पत्नि चतुर्भुज जाति कीर निवासी ब्राहमणों का लुहारिया तह0 हिण्डोली जिला बूंदी वगेरा।	

पत्रावली पेश हुई। अपील पत्रावली एंव हस्तगत अपील प्रकरण मे उभय पक्षकारान की ओर से दिनांक 20.1.2022 को प्रस्तुत राजीनामा पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी प्रहलाद द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बूंदी द्वारा नानगी बनाम प्रहलाद मे दिनांक 13.9.2021 को पारित निर्णय से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय मे प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त करने का अनुरोध किया है। हस्तगत अपील प्रकरण मे अपीलांट एंव रेस्पो0 कम–1 की ओर से दिनांक 20.1.2022 को राजीनामा पेश कर अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय निरस्त कर राजस्व रिकार्ड मे पूर्व के इन्द्राज को यथावत रखे जाने मे सहमति प्रकट की है। अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रकरण संख्या 5/2016 मे आदेश दिनांक 30.9.2016 से वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 10 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम ब्राहमणों का लुहारिया का मृतक रामकंवरी के हिस्से 1/2 पर प्रहलाद दत्तक पुत्र चतुर्भुज का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया जिससे व्यथित होकर नानगी द्वारा अपील सं0 41/19 नानगी बनाम प्रहलाद वगेरा अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय मे इस आशय की पेश की गई थी कि मृतक खातेदार चतुर्भुज ने उसके जीवनकाल मे कभी किसी को गोद नही लिया तथा ना ही मृतक रामकंवरी ने प्रहलाद को कभी गोद लिया। रामकंवरी की मृत्यु के उपरांत नानगी ही उसकी वारिस है। नानगी को बवक्त सुनवाई तहसीलदार हिण्डोली द्वारा तलब नही किया बिना समुचित सुनवाई का अवसर दिये तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया गया। प्रहलाद द्वारा एक वाद उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली के यहां खातेदारी अधिकार की घोषणा का प्रस्तुत किया गया था जिसे उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली द्वारा 5.6.2015 को खारिज किया गया है। उक्त वाद मे तहसीलदार हिण्डोली पक्षकार थे उसके बाद तहसीलदार हिण्डोली द्वारा इसी भूमि के संबध मे निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने नानगी की उक्त अपील को दिनांक 13.9.2021 को आंशिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार हिण्डोली के आदेश दिनांक 30.9.2016 को निरस्त कर मृतक रामकंवरी के सभी विधिक वारिसान को समुचित सुनवाई एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये संपूर्ण विधिक जांच कर नये सिरें से निर्णय पारित करने हेतु तह0 हिण्डोली को प्रतिप्रेषित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट प्रहलाद ने हस्तगत द्वितीय अपील न्यायालय मे पेश कर उल्लेखित किया कि नानगी द्वारा अपना 1/2 हिस्सा जरिये विक्रय पत्र गजानन्द कीर को विक्रय कर दिया है जिसका नामा0 संख्या 506 दिनांक 17.12.2018 दर्ज हो चुका है ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि मे अब नानगी का कोई हिस्सा शेष नही रहा है। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत घोषणा के वाद को खारिज करने की अपील वर्तमान मे न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के यहां पेश कर रखी है जो विचाराधीन है।

अपील एंव राजीनामा मे वर्णित तथ्यों तथा जेरअपील निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक रामकंवरी के हिस्से 1/2 के संबध मे तह0 हिण्डोली द्वारा पारित आदेश दि0 30.9.2016 को प्रथम अपीलीय न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बूंदी ने निर्णय दिनांक 30.9.2016 से निरस्त कर मृतक रामकंवरी के सभी विधिक वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर जांच कर नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है जिसमे हम किसी प्रकार का विधिक एंव तथ्यात्मक दोष नही पाते है। क्योंकि अपीलार्थी प्रहलाद द्वारा न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत हस्तगत अपील प्रकरण मे स्वयं ने यह उल्लेखित किया है कि उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली के न्यायालय मे उसके द्वारा प्रस्तुत घोषणा के वाद को खारिज किया गया है जिसकी वर्तमान मे अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा मे विचाराधीन है। अपील मे यह भी वर्णित किया है कि नानगी रेस्पो0 कम–1 द्वारा अपना 1/2 हिस्सा जरिये विक्रय पत्र गजानन्द कीर को विक्रय कर दिया है जिसका नामा0 संख्या 506 दिनांक 17.12.2018 दर्ज हो चुका है ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि मे अब नानगी का कोई हिस्सा शेष नही रहा है। अपील मे वर्णित उक्त तथ्यों से भी स्पष्ट हो जाता है कि नानगी द्वारा अपना 1/2 हिस्सा गजानन्द कीर को विक्रय किया जा चुका है। केता हस्तगत अपील प्रकरण मे पक्षकार नही है। ऐसी स्थिति मे मृतक रामकंवरी के 1/2 हिस्से का निर्धारण विधि अनुसार न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा के न्यायालय मे जेरकार अपील प्रकरण मे होगा। नामा0 की संक्षिप्त कार्यवाही मे स्वत्व का निर्धारण नही किया जा सकता। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार हम हस्तगत अपील प्रकरण मे अपीलांट एंव रेस्पो0 कम–1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 20.1.2022 विधि सम्मत नही होने से अस्वीकार करते हुए तदानुसार अपील अपीलाट खारिज की जाती है।

(अनुराग भार्गव)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा